

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी

पत्रांक:मान्यता/9656-57 /2022-23

दिनांक:- 14/11/2022

संशोधित आदेश

प्रबन्धक,

ग्लोबल स्कालर्स एकेडमी भीरा

वि०क्षे०-बिजुआ,खीरी

विषय:-ग्लोबल स्कालर्स एकेडमी भीरा वि०क्षे०-बिजुआ,खीरी को कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सूच्य है कि आप कार्यालय में दिनांक 23.08.2022 को प्रार्थना के साथ कार्यालय पत्रांक: आशु/मान्यता/427-34/2015-16 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि ग्लोबल स्कालर्स एकेडमी भीरा वि०क्षे०-बिजुआ,खीरी की मान्यता दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान की गयी है। जिसे अग्रिम संचालन/मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०क्षे० बिजुआ की आख्या दिनांक 21.09.2022 के आधार पर व शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर (15) "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गई है।" एवं शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में निहित व्यवस्थानुसार विद्यालय का संचालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। भविष्य में यदि कोई त्रुटि अथवा असत्य पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पृ०सं० एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:-खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०क्षे० बिजुआ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर खीरी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर खीरी

PRINCIPAL
GLOBAL SCHOLAR'S ACADEMY
(An English Medium Co-Educational Public School)
BHIRA, Distt.- Lakhimpur Kheri

MANAGER
GLOBAL SCHOLAR'S ACADEMY
(An English Medium Co-Educational Public School)
BHIRA, Distt. Lakhimpur-Kheri

प्रेमक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ग्लोबल स्कालर्स एकेडमी भीरा
वि०क्षे० बिजुआ लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक: आशु०/मान्यता/ 427-34 /2015-16 दिनांक ०9 अप्रैल, 2015
विषय: नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:
शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन
विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी आपके विद्यालय को तारीख 01.4.2015 से तारीख 31.3.2018 तक
तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की
संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन
करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम-2009 (उपाबन्ध-1) और
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के
कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और
अनिवार्य बाल शिक्षा उसके पूरा हो जाने पर उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 के उप धारा (2) के उपबन्धों के
अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता
रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता
पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और
वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चता करेगा:
(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल
नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानासिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक
प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
(V) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार नि:शक्त/ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया
जाना।
(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ
की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम
अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

PRINCIPAL
GLOBAL SCHOLAR'S ACADEMY
(An English Medium Co-Educational Public School)
BHIRA, Distt.- Lakhimpur Kheri

De Jaul
21-9-2015
खण्ड शिक्षा अधिकारी
वि०क्षे० बिजुआ (खीरी)

MANAGER
GLOBAL SCHOLAR'S ACADEMY
(An English Medium Co-Educational Public School)
BHIRA, Distt. Lakhimpur-Kheri

- (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 क 24) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय की लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (15) 2015 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएँ।
 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
 17. शासनादेश दिनांक 08.5.2013 में दिए गये सगस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

डा० (ओ०पी०राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

पृ० सं० व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
3. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लखीमपुर-खीरी।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

21-9-2022
खण्ड शिक्षा अधिकारी
के को विपुला खीरी

22/12/22

PRINCIPAL
GLOBAL SCHOLAR'S ACADEMY
(An English Medium Co-Educational Public School)
BHIRA, Distt.- Lakhimpur Kheri

MANAGER
GLOBAL SCHOLAR'S ACADEMY
(An English Medium Co-Educational Public School)
BHIRA, Distt. Lakhimpur-Kheri